रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 691] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 9, 2010/चैत्र 19, 1932

No. 691] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2010/CHAITRA 19, 1932

पर्यावरण और वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2010

का.आ. 821(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के आदेश संख्याक का. आ. 309(अ), तारीख 27 फरवरी, 2006 द्वारा गोवा राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का राजपत्र में आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि समाप्त हो गई है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन करना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण), अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए गोवा राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) पुनर्गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् : –

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1	2	3
1.	सचिव (पर्यावरण), गोवा सरकार	—अध्यक्ष
2.	डा. एजी उंतावले, भूतपूर्व उप निदेशक (जैव समुद्र विज्ञान) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा	—सदस्य
3.	डा. एस एम बोर्जेस, भूतपूर्व आचार्य और विभागाध्यक्ष, भू-विज्ञान (चौगुले विज्ञान महाविद्यालय), मा.., गोवा	—सदस्य
4.	श्री पासकोल नोरोन्हा, तटीय संनिर्माण और प्रबलित सीमेंट क्रंक्रीट संनिर्माण में विशेषज्ञ व्यक्ति, मकान नं. 206, सेंट जोकिम रोड बोर्दा फतोरा, मारगांव, गोवा	—सदस्य
5.	डा. सविता केरकर, उपाचार्य समुद्री जैव प्रविधि विभाग, गोवा विश्वविद्यालय, तेली-गांव पठार, तेलीगांव	—सदस्य
6.	मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, गोवा सरकार	—सदस्य
7.	निदेशक, पंचायत निदेशालय, गोवा सरकार	—सदस्य
8.	निदेशक, पर्यटन निदेशालय, गोवा सरकार	—सदस्य
9.	निदेशक, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य निदेशालय, गोवा सरकार	—सदस्य
10.	मुख्य इंजीनियर, जल संसाधन विभाग, गोवा सरकार	—सदस्य
11.	मुख्य इंजीनियर (भवन), लोक निर्माण विभाग, गोवा सरकार	—सदस्य
12.	संयुक्त सचिव (विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग, गोवा सरकार	—सदस्य सचिव

II. प्राधिकरण, गोवा राज्य के क्षेत्रों में तटीय पर्यावरण क्वालिटी का संरक्षण और सुधार करने और पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :--

(i) गोवा राज्य सरकार से प्राप्त तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों के वर्गीकरण और तटीय जोन प्रबंध योजना (सी जेड. एम पी) में परिवर्तन या उपांतरण करने के लिए प्रस्तावों की परीक्षा और उसके लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिश करना;

(ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के उपबंधों के अभिकथित उल्लंघन की दशा में मामलों की जांच करना और यदि विनिर्दिष्ट दशा में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विनिर्दिष्ट मामले में जारी किसी निदेश के असंगत न हो ;

(ख) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के अंतर्वलित उल्लंघनों वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणों सहित पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्दिष्ट करना :

परंतु इस उप-पैरा के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन मामलों पर स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या किसी प्रतिनिधि निकाय अथवा किसी संगठन द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर कार्रवाई की जा सकेगी;

(iii) इस पैरा के उप-पैरा (i) और उप पैरा (ii) के अधीन उसके द्वारा जारी निदेश के अननुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवादें फाइल करना;

(iv) इस पैरा के उप-पैरा (i) और उप-पैरा (ii) से उद्भूत मुद्दों से संबंधित तथ्यों को सत्यापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

III. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर विचार करेगा जो उसे यथास्थिति गोवा राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं ।

IV. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं विरचित करेगा।

V. प्राधिकरण अपरदन या अवक्रमण के लिए अतिसंवेदनशील तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं विरचित करेगा।

VI. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खंडों की पहचान करेगा और उसके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

VII. प्राधिकरण ऊपर पैरा IV, पैरा V और VI के अधीन उसके द्वारा तैयार की गई योजनाओं और उनके उपांतरणों को, परीक्षा और उनके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

VIII. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की परीक्षा करेगा और केन्द्रीय सरकार या वे अभिकरणं जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 144 (अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 और उसके पश्चात्वर्ती संशोधनों के अधीन ऐसी परियोजना पूरी किए जाने के लिए सौंपी गई है, को परियोजनाओं के प्रस्ताव निर्दिष्ट करने से पूर्व अपनी सिफारिश देगा ।

IX. प्राधिकरण उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा जो गोवा के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अधिकथित हैं।

X. प्राधिकरण अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

XI. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि अधिवेशनों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित हों ।

XII. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए होंगे ।

XIII. प्राधिकरण का मुख्यालय गोवा में होगा ।

XIV. प्राधिकरण इंटरनेट वेबसाइट के माध्यम सहित लोक क्षेत्र में कार्यसूची और अपनी बैठक के कार्यवृत्त संबंधित जानकारी रखेगा।

XV. ऐसे मामलों पर जो विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकरण की परिधि और अधिकारिता के भीतर नहीं आता है, संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाएगी ।

[फा. सं. 12-6/2005-आई ए-III]

डॉ. नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण : गोवा तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन करने से संबंधित मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, में सं. का.आ. 19(अ), तारीख 4 जनवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था और का. आ. 309(अ), तारीख 27 फरवरी, 2006 द्वारा उसका पुनर्गठन किया गया ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 9th April, 2010

S.O. 821(E).—Whereas by an order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 309(E), dated the 27th February, 2006, the Central Government reconstituted the Goa State Coastal Zone Management Authority for a period of three years with effect from the date of publication of the order in the Official Gazette, and the term of the said Authority has been expired;

And whereas, the Central Government is of the view that such an Authority must be reconstituted;

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby reconstitutes the Goa State Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) for a period of three years with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, consisting of the following persons, namely :—

Sl. No.	Name	Designation
1.	Secretary (Environment), Government of Goa	—Chairman;
2.	Dr. A G Untawale, Former Deputy Director, (Biological Oceanography) National Institute of Oceanography, Goa	—Member;
3.	Dr. S M Borges, Former Professor and Head of Department of Geology, (Chowgule College of Science), Margo-Goa	—Member;
4.	Shri Pascoal Noronha, Subject Expert in Coastal Construction and Reinforced Cement Concrete construction, House No. 206, St. Joaquim Road, Borda, Fatora, Margao-Goa	—Member;
5.	Dr. Savita Kerkar, Reader, Department of Marine Biotechnology, Goa University, Teleigoa Plateau, Teleigao	—Member;
6.	Chief Conservator of Forests, Forests Department, Government of Goa	—Member;
7.	Director, Directorate of Panchayats, Government of Goa	—Member;
8.	Director, Directorate of Tourism, Government of Goa	—Member;
9.	Director, Directorate of Industries, Trade and Commerce, Government of Goa	—Member;
10.	Chief Engineer, Water Resource Department, Government of Goa	—Member;
11.	Chief Engineer (Building), Public Works Department, Government of Goa	—Member;
12.	Joint Secretary (Science, Technology and Environment), Department of Science, Technology and Environment, Government of Goa	—Member-Secretary.

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the State of Goa, namely:—

(i) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Goa State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefor;

(ii) (a) inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under Section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act; and if found necessary, referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under clauses (a) and (b) of this sub-paragraph may be taken up *suo motu* or on the basis of complaint made by an individual or an representative body or an organisation;

(iii) filing complaints, under Section 19 of the said Act, in cases of non -compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (i) and (ii) of this paragraph;

(iv) to take action under Section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of this paragraph.

III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone, which may be referred to it by the State Government of Goa, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government, as the case may be.

IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.

V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas.

VI. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

VIII. The Authority shall examine all projects proposed in Coastal Regulation Zone areas and give their

recommendations before the project proposals are referred to the Central Government or the agencies who have been entrusted to clear such projects under the notification, of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O. 144(E) dated 19th February, 1991 and its subsequent amendments.

IX. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Goa.

X. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

XI. The Authority shall ensure that at least two third members of the Authority are present during the meetings.

XII. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XIII. The Authority shall have its headquarters at Goa.

XIV. The Authority shall place information regarding the agenda and minutes of its meetings in the public domain, including through Internet website.

XV. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 12-6/2005-IA-III]

Dr. NALINI BHAT, Scientist 'G'

Note :— The principal order constituting the Goa Coastal Zone Management Authority was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O 19(E) dated the 4th January, 2002 and was reconstituted *vide* number S.O 309(E), dated the 27th February, 2006.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.